राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/20	कानाराम / सरकार 33/2020 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण में इस प्रकार है की न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर के समक्ष अपीलार्थी एवं अन्य के द्वारा राजस्थान सरकार के विरुद्ध एक वाद बाबत घोषणा एवम स्थाई निषेधाज्ञा का इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया की कृषि भूमि ख.न. 555/1023,555/1190 कुल किता-2 रकबा 0.81 हैक्टेयर स्थित ग्राम पुनाना पटवार क्षेत्र जयसिंहपूरा तहसील आमेर को अपने दादा के समय से ही काबिज है एवं वर्ष 1965 से तो वादीगण स्वयं निर्बाध्य रूप से कब्जा काश्त है इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि पर 55 वर्ष से भी अधिक से काबिज काश्त रहकर अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे है वाद में यह भी अंकित किया गया की सम्वत 2056 से 2072 तक में फसल खरीब में वादीगण का नाम काश्तकार के कॉलम में दर्ज है। वादीगण द्वारा लगातार राजस्व लगान व किराया भी जमा कराया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन भी जुर्माना राशी भी नियमित रूप से जमा कराई गयी है। वादकारण में अंकित किया गया की दिनांक 21/10/2016 को वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 कुछ कर्मचारियों के साथ आये तथा वादीगण को धमकी देकर कहा की तुमने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है , जिसे खाली करो। वादीगण ने उनके समक्ष अपना पक्ष रखा किन्तु वे ऐलानिया धमकी देकर गये की वे वादीगण को बेदखल कर देंगे। अत: वाद प्रस्तुत कर वादी के वाद को चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री फरमाये जाने की ईस्तदुआ की। वाद में प्रतिवादी की और से जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमे वादी के वाद को नकारा गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गयी एवं आदेश जैर अपील दिनांक 16/05/2018 के द्वारा यह अंकित करते हुये कि पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हुआ है की वादी का वाद सिवायचक भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु किया गया है। सिवायचक भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हो सकते तथा न ही किसी व्यक्ति को सिवायचक भूमि की कानूनन खातेदारी प्रदान की जा सकती है। वादी द्वारा ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिससे यह साबित हो की उक्त भूमि पूर्व में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय रिकार्ड ऑफ राइट जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज हो रहा हो | अत: वादी का वाद बार्ड बाई ला होने से ख़ारिज कर दिया गया |

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दिनांक 16/01/2020 को प्रस्तुत हुई | चुंकी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है | अत: मियाद के सन्दर्भ में अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद प्रस्तुत हुआ | चुंकी इस सन्दर्भ में इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 29/01/2020 में अंकित कर दिया गया था की प्रार्थना पत्र दफा -5 कानून मियाद का निस्तारण अपील के साथ ही दोनों पक्षों को सुनकर कर दिया जायेगा |

कानून मियाद के सन्दर्भ में बहस करते हुये अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ की और आकर्षित कराते हुये बहस में निवेदन किया की वाद प्रस्तुत करने के पश्चात निरन्तर मुख्यालय जयपुर पर सुनवाई हेतु लगता रहा है एवं उसके वकील निरन्तर मुख्यालय पर सुनवाई हेतु उपस्थित होते रहे किन्तु दिनांक 16/05/2018 बगैर अपीलार्थीगण को सूचित किये पत्रावली कैम्प कोर्ट पुनाना में लगाते हुये उसी दिन आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया, जिससे वादी एवं उसके वकील को निर्णय जैर अपील की जानकारी नही हो सकी एवं वादी द्वारा दिनांक 10/01/2020 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर भी निर्णय की जानकारी नही हो सकी | इस पर न्यायालय के रीडर से अपीलार्थी ने जानकारी ली तो उसे ज्ञात हुआ की उसका वाद दिनांक 16/05/2018 को ख़ारिज हो चूका है तत्तपश्चात वादी द्वारा नकल प्राप्त कर अपील बगैर किसी विलम्ब के प्रस्तुत कर दी गयी | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने में किसी प्रकार का जानबुझकर विलम्ब नही किया गया है | अत: अपीलार्थी को धारा -5 कानून मियाद का लाभ देते हुये अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार किया जाकर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी जवाब बहस में निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दो वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है, इतनी लम्बी अवधि का लाभ अपीलार्थी को नही दिया जाकर अपील खारिज की जावे।

हमने मियाद के बिन्दु पर अभिभाषक पक्षकारान की बहस का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक 08/05/2018 को पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया गया है कि " पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 16/05/2018 को पेश हो।" जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पत्रावली कैम्प कोर्ट में लिये जाने हेतु कोई आदेश पारित नही किया गया था जबकि दिनांक 16/05/2018 पत्रावली कैम्प कोर्ट पुनाना में ली जाकर निर्णित कर दी गयी। दिनांक 16/05/2018 की आदेशिका में यह भी कही अंकित नही है कि उक्त दिनांक को कोई पक्षकार उपस्थित रहा हो। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है की उक्त आदेश पक्षकारान की अनुपस्थिति में पारित किया गया, जिससे वादी/अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी न होने के तथ्य की पुष्टी होती है जिससे अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा-5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत होना धारित किया जाता है।

मूल अपील पर बहस पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/05/2018 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सन्दर्भ में हमारा ध्यान धारा-33 जाप्ता दीवानी की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि न्यायालय के लिये यह

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

आवश्यक होता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करे, उसके पश्चात ही प्रकरण में निर्णय पारित करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधान का पालन नही किया जाकर आदेश जैर अपील नियम विरुद्ध पारित किया है, जो निरस्तनीय है | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12/04/2017 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक को वाद में तनकीयात कॉयम की जाकर पक्षकारान को अवगत कराई एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गयी एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 18/05/2018 तक चलती रही एवं दिनांक 16/05/2018 नियत की गयी एवं दिनांक 16/05/2018 को वादी का वाद बगैर साक्ष्य सबूत लिये ख़ारिज कर दिया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के दौराने हमारा ध्यान आदेश 14 नियम 2 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि प्रकरण में वाद बिन्दु निर्धारित हो जाने के पश्चात न्यायालय को प्रत्येक वाद बिन्दु का साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारण करते हुये एक विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया जाकर नियम विरुद्ध एक फौरी आदेश पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज कर दिया गया है | जिसे निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण पक्षकारान से साक्ष्य सबूत लिये जाकर एवं सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे |

राजकीय अभिभाषक ने जवाब बहस में निवेदन किया की प्रशनगत आराजी सिवायचक आराजी दर्ज रिकार्ड है, जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते | अत:अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वविवेकीय निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है | अत: अपील ख़ारिज फरमाई जावे | राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील पत्रावली का अवलोकन कराते हुये निवेदन किया की अपीलार्थी द्वारा अपील

के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नही की गयी है जिसमे अपील संधारणीय नही होने से भी ख़ारिज फरमाई जावे |

अभिभाषक अपीलार्थी ने जवाब ऊल जवाब में निवेदन किया कि वादी /अपीलार्थी स्वयं ने अपने वाद में अंकित किया है कि वादी के खाते की आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है | अत: यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निस्तारित किया जाना था कि प्रशनगत आराजी की पूर्व में क्या स्थिति थी |

अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की सम्पूर्ण आदेशिकाओ की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 10 लाइन का आदेश पारित करते हुये वादी का वाद निस्तारित कर दिया गया एवं कोई डिक्री पारित नही की गयी, जिससे अपीलार्थी द्वारा भी अपील के साथ डिक्री की प्रति प्रस्तुत नही की गयी | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12/04/2017 को वाद में वाद बिन्दु कायम किये गये एवं वाद साक्ष्य वादी हेतु अग्रिम तारीख दी गयी, जो निरन्तर दिनांक 08/05/2018 तक इस हेतु कॉयम रही एवं दिनांक 08/05/2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/05/2018 नियत की गयी एवं दिनांक 16/05/2018 को पत्रावली कैम्प कोर्ट पुनाना में ली जाकर वाद वादी ख़ारिज कर दिया गया | जिससे यह तथ्य स्पष्ट है की प्रकरण में वादी के साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही हुये, वादी को कैम्प कोर्ट की सुचना नही दी गयी एवं दिनांक 16/05/2018 को वादी की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक स्वप्रेरित निर्णय पारित कर दिया गया | इस सन्दर्भ में अभिभाषक द्वारा उद्द्रित दफा-33 जाप्ता दीवानी जो निम्न प्रकार है :- "The court, after the cause has

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

been heard, shall pronounce judgment, and on such judgment a decree shall fallow." इससे स्पष्ट है की न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में सुनवाई की जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था एवं तत्पश्चात वाद में डिक्री पारित की जानी चाहिये थी, जो विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया है | इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा जो हमारा ध्यान आदेश 14 नियम 2 जाप्ता दीवानी की और दौराने बहस आकर्षित कराया गया था, के अवलोकन से स्पष्ट है "आदेश 14 नियम 2 – Court to pronounce judgment on all issues" इससे स्पष्ट है कि यदि प्रकरण में विवाद बिन्दु कॉयम कर दिये जावे तो वाद का निस्तारण प्रत्येक वाद बिन्दु का निस्तारण करते हुये किया जाना चाहिये किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से क़ानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये निर्णय जैर अपील पारित किया गया है |

अत: अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16/05/2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को वाद में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर वाद बिन्दुओ अनुसार विवेचनात्मक वाद का निस्तारण किया जावे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 20/07/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर